लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 217

18 नवंबर, 2019 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग के ठेकेदारों से संबंधित सूचना

217. श्री सुशील कुमार सिंहः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनता को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संविदाओं (जैसे एल 1 बोली) तकनीकी रूप से योग्य सहभागियों के नाम और उन कार्यों का ब्यौरा जिनके लिए मंत्रालय में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को संविदा दी गई है, का ब्यौरा जानने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का सीपीएसई द्वारा किसी नागरिक या किसी चुने हुए प्रतिनिधि को सूचना नहीं देने से इंकार करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सूचना देने से इंकार करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय के अंतर्गत सीपीएसई आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत इनके द्वारा दी गई संविदा से संबंधित सूचना देने से इंकार कर सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) गीता दीवान वर्मा बनाम दिल्ली एनसीटी सरकार मामले (सी आई सी, 2009) पर सरकार का क्या रुख है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जनता को एल 1 बोली, तकनीकी रूप से पात्र सहभागियों के नाम जैसे संविदा के विवरण तथा जिस कार्य के लिए संविदा दी गई है, उसका विवरण जानने का अधिकार है। तथापि, आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत छूट प्रदान की गई हैं।

(ख) और (ग): आरटीआई अधिनियम, सूचना उपलब्ध न कराए जाने की स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी तथा बाद में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास अपील का प्रावधान करता है। सीआईसी की सिफारिशों के आधार पर सीपीएसई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।

(घ): सीपीआईओ आवेदक द्वारा माँगी गई सूचना को देने से मना नहीं कर सकते बशर्ते इसे आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 8 के अंतर्गत छूट प्राप्त हो।

(ङ): गीता दीवान वर्मा बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (सीआईसी 2009) में दिया गया निर्णय उस सीमा तक प्रयोज्य है जहाँ तक कि परिस्थितियाँ समान हों और इसलिए उनका समान्यीकरण नहीं किया जा सकता।

****